प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 06.03.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 15,000/- रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.01.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी नितिन निवासी ग्राम मिल्क विकास नगर,लोनी जनपद गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के भाई नवीन की हत्या कर शव को ऑटो में जला देना। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल सुसंगत धारा-103(1)/238 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित की गई। तत्पश्चात थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1.पवन पुत्र किरण 2. सागर उर्फ पण्डित पुत्र सुशील को दिनांक 17/01/2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया तथा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नसीम पुत्र इकबाल निवासी पंचलोक थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये गये।

दिनांक 05.03.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 15,000/- रुपये का इनामी अभियुक्त नसीम पुत्र इकबाल निवासी पंचलोक थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर पंचलोक गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त नसीम से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया कि मृतक नवीन, मैं, पवन व सागर आपस में दोस्त थे। नवीन अपने साथ हम तीनों को लेकर दिल्ली में किसी तांत्रिक के पास आया था। नवीन व तांत्रिक आपस में बात करने लगे कि यदि किसी अपने जानने वाले नजदीकी व्यक्ति की बलि दी जाए तो वह मालामाल व ईश्वर के साक्षात्कार हो सकते है, तब नवीन ने तांत्रिक से पूछा कि क्या वह अपने किसी दोस्त की बलि दे सकता है तो तांत्रिक ने कहा कि हाँ किसी की भी बलि दी जा सकती है, यह बात हमने सुन ली थी और उसके बाद हम चारों लोग वापस आ गए थे। हमें यह पूर्ण विश्वास हो गया कि नवीन मालामाल होने तथा ईश्वर से साक्षात्कार होने के लिए हम में से किसी की भी बलि दे देगा तो हम तीनो ने मिलकर नवीन को सागर के कमरे में बहाने से बुला लिया तथा मौका पाकर दिनांक 13/01/2026 को रात्रि में गैस सिलेण्डर से बारी-बारी से हम तीनों ने मिलकर नवीन के सिर व कमर पर चोट पहुंचाकर जान से मार दिया था और उसके बाद हम तीनों ने नवीन के शव को ठिकाने लगाने के लिए नवीन के शव को कम्बल में लपेटकर उसी के ऑटो में रखकर घिठोरा मोड के पास जंगल में ले जाकर ऑटो के साथ नवीन के शव को आग लगाकर जला दिया था तथा वहाँ से

भाग गये थे। जब मुझे पता चला कि पवन व सागर को पुलिस ने पकड़ लिया है तो मैं पुलिस से बचने के लिए कोलकाता भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नसीम पुत्र इकबाल निवासी पंचलोक थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त नसीम के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर हत्या का 01 अभियोग, थाना लोनी पर लूट का 01 अभियोग, आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग व 2/3 गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग (कुल 04 अभियोग) पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।